

जयपुर विद्युत वितरण निगम लि०, जयपुर।
कार्यालय वरिष्ठ लेखाधिकारी (मुख्यालय)

क्रमांक: जेपीडी/व.ले.(मु.)/ले.अ./रोकड़/प.-2/प्रे.698


दिनांक 26-7-07

परिपत्र

परिपत्र संख्या: जेपीडी नं० 6-233 दिनांक 7-7-07 के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि चतुर्थ श्रेणी/ वाहन चालक/ तकनीकी कर्मचारियों को अपने वेतन को सीधे बैंक में जमा कराने के लिए बैंक में खाता खुलवाने हेतु बाध्य नहीं किया जावे तथा उनके भुगतान की प्रचलित व्यवस्था ही चालू रखी जावे।

जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बैंक द्वारा भुगतान किया जाता है, उनको स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की किसी भी शाखा में खाता खुलवाये जाने हेतु पूर्व परिपत्र में ही निर्देशित किया जा चुका है। अतः उक्त बैंक की किसी भी शाखा में खाता खुलवाकर खाता संख्या सूचित किया जावे।


आज्ञा से


(के.एल.गुप्ता)

वरिष्ठ लेखाधिकारी (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/ पालनार्थ प्रेषित :-

1. मुख्य अभियन्ता (पवस)/ वाणिज्य/ प.प्र., जविविनिलि, जयपुर।
2. मुख्य लेखाधिकारी, जविविनिलि, जयपुर।
3. सचिव, जविविनिलि, जयपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता (), जविविनिलि, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जविविनिलि, जयपुर।
6. उप सचिव (सा.प्र.शा.), जविविनिलि, जयपुर।
7. अधिशासी अभियन्ता (वाणिज्य द्वितीय), जविविनिलि, जयपुर।
8. लेखाधिकारी (संस्थापन नियंत्रण), जविविनिलि, जयपुर।
9. निजी सहायक अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जविविनिलि, जयपुर।
10. निजी सहायक निदेशक (वित्त), जविविनिलि, जयपुर।
11. सहायक लेखाधिकारी (राजस्व/ सं.अं.), जविविनिलि, जयपुर।


वरिष्ठ लेखाधिकारी (मुख्यालय)